भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2918

उत्तर देने की तारीख- 12/12/2024

जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार

2918 श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोरः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जनजातीय क्षेत्र शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अभी भी पिछड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार के पास विगत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय युवाओं को प्रदान किए गए रोजगार के अवसरों के संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो गुजरात के संदर्भ में तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, जैसा कि नीचे बताया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में हालांकि जनजातीय और सभी छात्रों के बीच अंतर मौजूद है, लेकिन यह अंतर कम हो रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रोजगार के मामले में, अजजा समुदाय बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

नीचे दी गई तालिकाएं अनुसूचित जनजाति और सभी छात्रों की साक्षरता, नामांकन और स्कूल छोड़ने के संबंध में समग्र जानकारी प्रदान करती हैं।

(i) अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा की स्थिति

<u>साक्षरता दर:</u>

शिक्षा/रोज़गार में अंतर है जो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। भारत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 1991, 2001 और 2011, 2021, 2022 के लिए कुल जनसंख्या और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की साक्षरता दर और उनमें अंतर क्रमशः निम्नानुसार है:

अनुसूचित जनजातियों और कुल जनसंख्या की तुलनात्मक साक्षरता दरें (प्रतिशत में)									
वर्ग/जनगणना वर्ष	1961	1971	1981	1991	2001	2011	2020-21	2021-22	2022-23
कुल जनसंख्या	28.3	34.45	43.57	52.21	64.84	73.00	79.2	79.7	80.3
अनुसूचित जनजातियाँ	8.53	11.30	16.35	29.60	47.10	59.00	71.6	72.1	73.6
अंतर	**19.77**	**18.15**	**19.88**	**22.61**	**17.74**	**14.00**	**7.6**	**7.6**	**6.7**

स्रोत: आरजीआई और पीएलएफएस, एमओएसपीआई

सकल नामांकन अनुपात

प्राथमिक स्तर पर जीईआर के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अजजा छात्रों का नामांकन अनुपात 2017-18 के दौरान 102.57 से बढ़कर 2021-22 के दौरान 103.48 हो गया है।

प्राथमिक चरण (I-VIII) 2017-18 से 2021-22 के लिए सभी श्रेणियों, अजा और अजजा का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सभी श्रेणियाँ	97.22	96.09	97.78	99.09	100.13
अनुसूचित जनजातियाँ	102.57	101.57	102.08	102.68	103.48

स्रोत: एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+), शिक्षा मंत्रालय

(ii) अनुसूचित जनजातियों के रोजगार की स्थिति

श्रम बल भागीदारी दर अजजा की भागीदारी में लगातार वृद्धि दर्शाती है ।

2021-22 से 2023-24 तक अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और सभी सामाजिक समूहों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), अखिल भारत

(आंकड़े % में)

सामाजिक समूह	पुरुष	महिला	व्यक्ति
PLFS (2023-24)			
अनुसूचित जनजाति	59.5	46.7	53.0
सभी	58.2	31.7	45.1
PLFS (2022-23)			

अनुसूचित जनजाति	59.6	43.5	51.6
सभी	56.2	27.8	42.4
PLFS (2021-22)			
अनुसूचित जनजाति	59.0	39.3	49.2
सभी	57.3	24.8	41.3

(ख) और (ग): जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के कार्यक्रमों को युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर उपलब्ध जानकारी के साथ सूचीबद्ध किया गया है।

i. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। नई योजना के तहत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। आज तक 715 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से देशभर में 476 ईएमआरएस कार्यशील बताए गए हैं, जिनसे लगभग 1.33 लाख छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) ईएमआरएस योजना का प्रबंधन और कार्यान्वयन कर रही है।

ii. जनजातीय छात्रों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति

जनजातीय कार्य मंत्रालय का छात्रवृत्ति प्रभाग देश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित चल रही योजनाओं को क्रियान्वित करता है: -

i. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)
ii. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)
iii. अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी)
iv. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएसटी)
v. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

(iii) जनजातीय कार्य मंत्रालय के आजीविका कार्यक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमशीलता सहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें जनजातीय उद्यमिता पहलों को सुदृढ़ करना और अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्वप्रबंधित, प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग, कृषि/लघु वन उपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाने की परिकल्पना है। योजना के तहत, प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं। दिनांक 01.11.2024 तक 3958 वीडीवीके स्वीकृत किए जा चुके हैं। ट्राइफेड ऑनलाइन और ऑफलाइन मंचों के माध्यम से धातु शिल्प, कपड़ा, आभूषण, पेंटिंग, बेंत और बांस, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन, जैविक और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों आदि जैसे विभिन्न श्रेणियों के जनजातीय उत्पादों के विपणन के लिए जनजातीय कारीगरों / आपूर्तिकर्ताओं को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी प्रदान करता है। ट्राइफेड ने 31.07.2024 तक जनजातीय उत्पादों की खरीद के लिए 4990 जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, ट्राइफेड ने 130.58 करोड़ रुपये की खरीद की है और 186.02 करोड़ रुपये की बिक्री की है।

इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा उन्हें संभावित खरीदारों से जोड़ने के लिए मंच प्रदान करने हेतु उत्सवों, मेलों आदि का आयोजन करता है तथा उनमें भाग लेता है, जिससे उन्हें अपनी उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ाने का अवसर मिलता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है, जो आय सृजन गतिविधियों/स्वरोजगार शुरू करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करके क्रेडिट लिंकेज प्रदान करता है, जिससे उनमें उद्यमिता की भावना पैदा होती है। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार दी गई हैं:

(क) सावधि ऋण योजना: एनएसटीएफडीसी प्रति ईकाई ₹50.00 लाख तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत, परियोजना की लागत के 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है और शेष राशि सब्सिडी (आर्थिक सहायता) / प्रमोटर योगदान / मार्जिन मनी के माध्यम से पूरी की जाती है।

(ख) आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई): यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी 4% प्रति वर्ष की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर ₹2.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90% तक ऋण प्रदान करता है।

(ग) स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म (लघु) ऋण योजना (एमसीएफ): यह अनुसूचित जनजाति सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने हेतु स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, निगम प्रति सदस्य ₹ 50,000/- तक और प्रति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को अधिकतम ₹ 5 लाख तक का ऋण प्रदान करता है।

(घ)आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई): यह अनुसूचित जनजाति के छात्रों को भारत में पीएचडी सहित तकनीकी और पेशेवर (व्यावसायिक) शिक्षा के लिए खर्च को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षा ऋण योजना है। इस योजना के तहत, निगम 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर प्रति पात्र परिवार को ₹10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान 623605 लाभार्थियों को 1577.12 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

(ग) युवाओं के लिए रोज़गार अवसरों के संबंध में विशेष रूप से डेटा केंद्रीकृत तरीके से उपलब्ध नहीं हैं। ऊपर उल्लिखित जनजातीय कार्य मंत्रालय के आजीविका कार्यक्रमों का एक बड़ा हिस्सा उद्यमिता पहलों और आजीविका के अवसरों को मजबूत करके युवाओं को लाभान्वित करता है।

(घ): गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातीय युवाओं को उपलब्ध कराए गए रोजगार के अवसरों के संबंध में जिला-वार जानकारी **अनुलग्नक 1 और 2** में संलग्न है।

गुजरात सरकार के तहत छात्रों को निम्नलिखित कार्यक्रमों में वजीफा/वित्तीय सहायक के रूप में सहायता प्रदान करती है ताकि वे बिना किसी कठिनाई के पाठ्यक्रम पूरा कर सकें और रोजगार प्राप्त करे सकें: -

अनुलग्नक 1

वर्ष 2023-24 में लाभार्थी					
परियोजना	विदेश में अध्ययन	पायलट प्रशिक्षण	अधिवक्ता वजीफा	स्व-रोजगार	नहरी केन्द्र
दाहोद/महिसागर/पंचमहल	4	0	1	143	6
बनासकांठा	1	0	0	12	0
साबरकांठा/अरावल्ली	6	0	2	13	0
छोटा उदेपुर	9	0	0	10	0
नर्मदा/भरूच	4	0	3	3	1
मांडवी	16	1	3	7	1
तापी	4	1	5	11	2
नवसारी/वलसाड	4	0	5	8	0
डांग	0	0	0	2	2
कुल	48	2	19	209	12

गुजरात की विकास सहायता एजेंसी गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में आजीविका संबंधी परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।

डी-एसएजी द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का जिला-वार विवरण नीचे संलग्न है: -

अनुलग्नक 2

कृषि विविधीकरण परियोजना के लिए स्वरोजगार से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**जिले का नाम**	**परियोजना का नाम**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	बनासकांठा	कृषि विविधीकरण परियोजना	3246	1630	2529
2	साबरकांठा		4703	3853	5531
3	अरावल्ली		3803	4254	3661
4	महीसागर		6617	2654	3500
5	गोधरा		5699	3780	3478
6	दाहोद		34960	22170	24796
7	छोटा उदेपुर		16192	7425	7800
8	नर्मदा		6102	2959	2024
9	भरूच		1920	1606	1297
10	सूरत		4480	2484	2616
11	तापी		6008	7763	5544
12	नवसारी		4874	4159	4133
13	वलसाड		5641	5342	4370
14	डांग		2495	1417	1566
कुल			**106740**	**71496**	**72845**

*****